

FORM NO. III

फर्दअहकाम



(नियम- 28)

अज अदालतसहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी),सिवाना

वादी 1. भारमल पुत्र खानुराम जाति विशनोई निवासी पादरू तहसील सिवाना	बनाम	प्रतिवादीगण 1. राजरथान सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदार सिवाना 2. हल्का पटवारी, पटवार हल्का पादरू
--	------	--

किस्म मुकदमा.....धारा 88, 188 RTA

मु0नं0...72 / 20

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
25.11.2020	<p>वादी भारमल की ओर से यह वाद पत्र वकील श्री कैलाशपुरी द्वारा प्रतिवादीगण भूमिधारक तहसीलदार सिवाना वगैरा के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 88, 188 RTA का पेश किया। वाद पत्र के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 80(2) CPC का पेश किया। वाद पत्र दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण को सम्मन जारी होकर पत्रावली दिनांक 21.12.2020 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"> (कुसुमलता चौहान) सहायक कलक्टर, सिवाना</p>	
21.12.2020	<p>पत्रावली आज पेश हुई वादी वकील उपस्थित। प्रतिवादीगण उपस्थित वादी वकील द्वारा 100 PRESS कर निवेदन किया गया कि वह आज सब वाद के बारे नहीं चलाना चाहते हैं अतः वादी वकील के निवेदन पर सब वाद इसी स्तर पर खारिज किया जावाही पत्रावली कैसबालुआर लेकर दाखिल दाखर</p> <p style="text-align: center;"> सहायक कलक्टर (SDO) सिवाना</p>	<p>Not press AM</p>

